**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3074**

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

**समेकित बाल विकास सेवा योजना**

**3074. डॉ. मन्ना लाल रावत:**

**श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

**श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/राज्य क्षेत्र-वार कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया;

(ख) उक्त योजना के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थी हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह कितने कुपोषित बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का राज्य-वार और राजस्थान में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**

**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) : 15वें वित्त आयोग (एफसी) की अवधि के दौरान, 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों के लिए पोषण सहायता, बच्चों (3-6 वर्ष) की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 20) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

I. अनुपूरक पोषण (एसएनपी)

II. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
III. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
IV. टीकाकरण,
V. स्वास्थ्य जांच, और
VI. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन, अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

15वें वित्त आयोग के अवधि के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

(ख) मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

(ग)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| **एनएफएचएस सर्वेक्षण** | **ठिगनापन %** | **अल्प वजन %** | **दुबलापन %** |
|---|---|---|---|
| एनएफएचएस -1 (1992-93)* | 52 | 53.4 | 17.5 |
| एनएफएचएस -2 (1998-99)** | 45.5 | 47 | 15.5 |
| एनएफएचएस -3 (2005-6)*** | 48.0 | 42.5 | 19.8 |
| एनएफएचएस -4 (2015-16)*** | 38.4 | 35.8 | 21.0 |
| एनएफएचएस -5 (2019-21)*** | 35.5 | 32.1 | 19.3 |

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपरोक्त तालिका समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने पाए गए, 17% बच्चे अल्प वजन वाले और 5.2% कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की विकास मापदंडों पर माप की गई है। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।
उपरोक्त एनएफएचएस डेटा और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

(घ) पोषण ट्रैकर के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गंभीर रूप से कुपोषित (दुबले) के रूप में पहचाने गए बच्चों की तिमाहीवार संख्या, जिन्हें पोषण सहायता प्रदान की गई है, निम्नानुसार है:

| **पहली तिमाही** | **दूसरी तिमाही** | **तीसरी तिमाही** |
|---|---|---|
| 185041 | 180274 | 162941 |

(ड.) यद्यपि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केन्द्रीय प्रायोजित योजना है तथापि इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। यह मंत्रालय वीडियो कोंफरेंस, बैठकों तथा ऑनलाइन पोषण ट्रैकर सिस्टम एवं कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करता है।

मंत्रालय ने पूरक पोषण प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी धारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने तथा डेटा प्रबंधन एवं निगरानी जैसे कई पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पोषण ट्रैकर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

I. पोषण ट्रैकर में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।

II. पोषण ट्रैकर में पंजीकरण के बाद सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से उन सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है, जिनका लाभ वे आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा सकते हैं, जिससे नागरिकों का स्वामित्व बनता है।

III. इसके अलावा, टीएचआर की डिलीवरी पर, लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोषण हेल्पलाइन विवरण के साथ एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। यदि लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिलता है, तो वह पोषण हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

iv. "पोषण ट्रैकर" के साथ, कुपोषण संकेतकों पर तात्कालिक डेटा प्रत्येक महीने उपलब्ध है। एनएफएचएस (लगभग 6.1 लाख परिवारों का नमूना आकार) की तुलना में पोषण ट्रैकर लगातार प्रत्येक महीने लगभग 8 करोड़ बच्चों का मापन करता है जो लाभार्थियों की तात्कालिक पोषण स्थिति को दर्शाता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी)की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं एवं शौचालयों के लिए निधियों को क्रमश: 10,000/- रूपए  से बढ़ाकर 17,000/- रूपए तथा 12,000/- रूपए से बढ़ाकर 36,000/- रूपए कर दिया गया  है। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 1665 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए गए हैं

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पांच वर्षों की अवधि में 10000 आंगनवाड़ी केंद्र प्रति वर्ष की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के साथ अभिसरण में राजस्थान राज्य में कुल 1217 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास प्रदान करने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य में कुल 2961 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान राज्य को 51 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

****

**अनुलग्नक**

**"समेकित बाल विकास सेवा" योजना के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत, श्री दरोगा प्रसाद सरोज, श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3074 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

मिशन पोषण **2.0** योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं | राज्य का नाम | राशि करोड़ो में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 19.71 | 13.36 | 3.85 | 3.88 | 12.15 | उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक देय नहीं है |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 744.60 | 749.91 | 827.79 | 721.45 | 705.68 | |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 170.83 | 230.77 | 137.78 | 145.74 | 162.06 | |
| 4 | असम | 1319.90 | 1432.19 | 1651.63 | 1717.00 | 2233.31 | |
| 5 | बिहार | 1574.43 | 1608.02 | 1740.09 | 1586.61 | 1859.29 | |
| 6 | चंडीगढ़ | 15.32 | 23.09 | 33.10 | 34.33 | 19.79 | |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 606.73 | 522.72 | 668.96 | 571.80 | 579.46 | |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 9.33 | 9.56 | 5.80 | 5.80 | 11.97 | |
| 9 | दिल्ली | 133.11 | 125.52 | 182.77 | 142.84 | 161.81 | |
| 10 | गोवा | 10.84 | 12.92 | 14.71 | 16.83 | 13.95 | |
| 11 | गुजरात | 839.86 | 757.92 | 912.64 | 552.30 | 1126.80 | |
| 12 | हरियाणा | 173.03 | 146.99 | 195.25 | 150.24 | 225.78 | |
| 13 | हिमाचल | 247.99 | 386.68 | 270.24 | 247.76 | 301.09 | |

| क्रम सं | राज्य का नाम | राशि करोड़ो में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| | प्रदेश | | | | | | |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 405.74 | 704.57 | 479.01 | 416.23 | 530.88 | |
| 15 | झारखंड | 352.98 | 183.30 | 430.91 | 596.03 | 664.30 | |
| 16 | कर्नाटक | 1003.70 | 984.62 | 765.87 | 885.65 | 912.96 | |
| 17 | केरल | 388.23 | 397.98 | 444.98 | 325.43 | 306.64 | |
| 18 | लद्दाख | 14.70 | 14.67 | 18.79 | 18.79 | 19.62 | |
| 19 | लक्षद्वीप | 2.11 | 2.73 | 0.44 | 0.44 | 2.88 | |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1085.47 | 1055.83 | 1011.57 | 1038.67 | 1123.11 | |
| 21 | महाराष्ट्र | 1713.39 | 1609.02 | 1646.17 | 1589.97 | 1699.52 | |
| 22 | मणिपुर | 228.92 | 177.28 | 135.95 | 167.74 | 201.28 | |
| 23 | मेघालय | 173.33 | 177.86 | 192.39 | 200.24 | 269.69 | |
| 24 | मिजोरम | 59.32 | 61.57 | 42.81 | 53.02 | 100.27 | |
| 25 | नागालैंड | 159.80 | 160.21 | 199.30 | 190.47 | 262.91 | |
| 26 | ओडिशा | 1065.98 | 871.20 | 923.92 | 884.96 | 968.80 | |
| 27 | पुददुचेरी | 2.78 | 6.13 | 0.12 | 6.68 | 4.48 | |
| 28 | पंजाब | 383.52 | 177.94 | 75.31 | 247.25 | 307.87 | |
| 29 | राजस्थान | 682.65 | 771.64 | 974.02 | 936.17 | 1091.96 | |
| 30 | सिक्किम | 25.73 | 24.59 | 20.33 | 24.09 | 33.49 | |
| 31 | तमिलनाडु | 655.38 | 681.28 | 766.81 | 741.30 | 880.79 | |
| 32 | तेलंगाना | 482.33 | 479.30 | 550.69 | 503.33 | 507.87 | |
| 33 | त्रिपुरा | 186.72 | 171.66 | 150.52 | 186.55 | 244.22 | |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2407.55 | 2341.91 | 2721.87 | 2622.64 | 2668.69 | |

| क्रम सं | राज्य का नाम | राशि करोड़ो में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 35 | उत्तराखंड | 353.65 | 336.03 | 425.84 | 364.77 | 288.24 | |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 668.35 | 1378.31 | 1227.59 | 1455.89 | 1237.56 | |
| | **कुल** | **18368.01** | **18789.28** | **19849.82** | **19352.89** | **21741.17** | |

**अनुलग्नक- II**

**"समेकित बाल विकास सेवा" योजना के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत, श्री दरोगा प्रसाद सरोज, श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3074 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक:**

लाभार्थियों का राज्यवार विवरण (दिनांक **8.12.2024** तक पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार):

| क्रम सं | राज्य | कुल लाभार्थी |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3152991 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 102149 |
| 3 | असम | 3449889 |
| 4 | बिहार | 10655392 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2666135 |
| 6 | गोवा | 57483 |
| 7 | गुजरात | 3527086 |
| 8 | हरियाणा | 1954637 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 570756 |
| 10 | झारखंड | 3359243 |
| 11 | कर्नाटक | 4386958 |
| 12 | केरल | 2097217 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 7490274 |
| 14 | महाराष्ट्र | 6665962 |
| 15 | मणिपुर | 330119 |
| 16 | मेघालय | 408456 |
| 17 | मिजोरम | 133565 |
| 18 | नागालैंड | 130603 |
| 19 | ओडिशा | 4205691 |
| 20 | पंजाब | 1659888 |
| 21 | राजस्थान | 4281870 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | सिक्किम | 40593 |
| 23 | तमिलनाडु | 4175319 |
| 24 | तेलंगाना | 1934493 |
| 25 | त्रिपुरा | 353997 |
| 26 | उतर प्रदेश | 22251412 |
| 27 | उत्तराखंड | 840899 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 8676876 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 12184 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली - दमन व दीव | 38014 |
| 31 | दिल्ली | 668642 |
| 32 | जम्मू एवं कश्मीर | 890496 |
| 33 | लद्दाख | 18615 |
| 34 | लक्षद्वीप | 4631 |
| 35 | पुदुचेरी | 35725 |
| 36 | संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़ | 42811 |
| | **कुल** | **101271071** |

****